प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर यूनियन एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रबंधन और अन्य

और

रिट याचिका (सिविल) संख्या 4942 / 2008, रिट याचिका (सेवा) संख्या 1794 / 2007, 1796 / 2007, 1798 / 2007, 1805 / 2007, 2249 / 2007, 2250 / 2007, 2251 / 2007, 2252 / 2007, 2299 / 2007, 2300 / 2007, 2301 / 2007, 2359 / 2007, 2376 / 2007, 2377 / 2007, 2378 / 2007, 2379 / 2007, 2751 / 2007, 2753 / 2007, 2754 / 2007, 2758 / 2007, 4783 / 2007, 4784 / 2007, 4785 / 2007, 5036 / 2007, 5037 / 2007 और 5038 / 2007 ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक **05.11.2012** को आदेश की उद्घोषणा हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर यूनियन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रबंधन और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक **4942 / 2008**

याचिकाकर्ता : शिक्षण समिति घुड़देवा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **1794 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुलेखा तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **1796 / 2007**

याचिकाकर्ता : कुमारी लिडिया कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **1798 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती उषा प्रसाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **1805 / 2007**

याचिकाकर्ता : दिनेश चंद्र वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2249 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती माया चटर्जी

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2250 / 2007**

याचिकाकर्ता : कार्तिक दास

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2251 / 2007**

याचिकाकर्ता : गिरधारी लाल

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2252 / 2007**

याचिकाकर्ता : राम आश्रय सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2299 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती अंजू झा

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2300 / 2007**

याचिकाकर्ता : बाटू लाल धीवर

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2301 / 2007**

याचिकाकर्ता : मार्टिन खलखो

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2359 / 2007**

याचिकाकर्ता : दिनेश चंद्र पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2376 / 2007**

याचिकाकर्ता : शुभंकर मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2377 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती फामिदा बेगम खान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2378 / 2007**

याचिकाकर्ता : चन्द्र सेन चौहान

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2379 / 2007**

याचिकाकर्ता : विनोद शंकर शर्मा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2751 / 2007**

याचिकाकर्ता : मनोज कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2753 / 2007**

याचिकाकर्ता : सुरेश कुमार सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2754 / 2007**

याचिकाकर्ता : कांशी नाथ यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **2758 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुनयना विश्वकर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **4783 / 2007**

याचिकाकर्ता : लक्ष्मी सिंह मरावी

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **4784 / 2007**

याचिकाकर्ता : चंदू लाल

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **4785 / 2007**

याचिकाकर्ता : श्रीमती आशा यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **5036 / 2007**

याचिकाकर्ता : कमलेश कुमार पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **5037 / 2007**

याचिकाकर्ता : खुश राम

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

और

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **5038 / 2007**

याचिकाकर्ता : जग प्रताप सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, एस.ई.सी.एल. और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत दायर रिट याचिकाएं)

एकल पीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश ।

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से : श्री के.आर. नायर, श्री प्रफुल्ल एन. भरत, श्री मनोज परांजपे,

अधिवक्तागण ।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री जे. धनखड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.एस. कोशी, श्री वैभव शुक्ला, श्री गैरी मुखोपाध्याय, श्री पराग कोटेचा, श्री संजय अग्रवाल, श्री आर.एस. पटेल, श्री पंकज अग्रवाल, और सुश्री मीरा जयसवाल, अधिवक्तागण ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय आज दिनांक 05.11.2012 को दिया गया)

1. रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4942 / 2008, रिट याचिका (सेवा) 1794 / 2007, 1796 / 2007, 1798 / 2007, 1805 / 2007, 2249 / 2007, 2250 / 2007, 2251 / 2007, 2252 / 2007, 2299 / 2007, 2300 / 2007, 2301 / 2007, 2359 / 2007, 2376 / 2007, 2377 / 2007, 2378 / 2007, 2379 / 2007, 2751 /

2007, 2753 / 2007, 2754 / 2007, 2758 / 2007, 4783 / 2007, 4784 / 2007, 4785 / 2007, 5036 / 2007, 5037 / 2007 और 5038 / 2007 में, विधि के समान प्रश्न समान तथ्यों से जुड़ा है, इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इस समान आदेश द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है ।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में, "एसईसीएल") के बांकिमोंगरा कोलियरीज में तीन हाई स्कूल, सरस्वती हाई स्कूल, सनशाइन हाई स्कूल और घोरदेवा हाई स्कूल संचालित हैं । एसईसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है । शुरुआत में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए थे, जिन्हें धीरे-धीरे माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों में उन्नत किया गया । ये सभी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे । शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 1974 -75 से विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, शुरू में परिवीक्षा अवधि पर, कुछ मामलों में समेकित वेतन के साथ और बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वेतनमानों में नियमित करके की गई थी । शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बाद में उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राज्य सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया, लेकिन उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला । उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने एसईसीएल को अभ्यावेदन किया; एसईसीएल ने यह कहते हुए वेतन और भत्तों में संशोधन करने से इनकार कर दिया कि विद्यालयों का प्रबंधन संबंधित पंजीकृत समितियों के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है । अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करना समितियों / संबंधित समितियों की जिम्मेदारी थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इससे व्यथित होकर, छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर यूनियन नामक ट्रेड यूनियन ने दो शिक्षकों के साथ मिलकर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 दायर की, जिसमें 23 कर्मचारियों (प्रधानाचार्य, व्याख्याता, स्नातक शिक्षक, उच्च श्रेणी के लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, भृत्य और चौकीदार) की ओर से याचिका दायर की गई थी, जैसा कि रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 के अनुलग्नक पी-1 से स्पष्ट है । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, इस न्यायालय की स्थापना हुई और मामला इस न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । इसके बाद,

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.03.2012 को दिए गए विवरण के अनुसार, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों (कुल 35) ने सरकारी शिक्षकों के समान अपने वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं :-

संख्या	याचिका क्रमांक	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	रि. या. से. क्रमांक 1794 / 07	श्रीमती सुलेखा तिवारी, शिक्षिका	22.10.1975
2.	रि. या. से. क्रमांक 1796 / 07	कु. लिडिया कुमार, शिक्षिका	22.10.1975
3.	रि. या. से. क्रमांक 1805 / 07	डी. सी. वर्मा, शिक्षक	14.08.1977
4.	रि. या. से. क्रमांक 2251 / 07	गिरधारी लाल, भृत्य	03.08.1978
5.	रि. या. से. क्रमांक 2300 / 07	भट्टू लाल धीवर, शिक्षक	10.09.1980
6.	रि. या. से. क्रमांक 2753 / 07	सुरेश कुमार सिंह, शिक्षक	10.09.1980
7.	रि. या. से. क्रमांक	श्रीमती उषा प्रसाद, शिक्षिका	01.07.1981

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	1798 / 07		
8.	रि. या. से. क्रमांक 4783 / 07	लक्ष्मण सिंह, शिक्षक	13.12.1984
9.	रि. या. से. क्रमांक 2377 / 07	श्रीमती फामिदा बेगम, शिक्षिका	18.01.1985
10.	रि. या. से. क्रमांक 2299 / 07	श्रीमती अंजू झा, शिक्षिका	18.01.1985
11.	रि. या. से. क्रमांक 2250 / 07	कार्तिक दास, शिक्षक	10.12.1986
12.	रि. या. से. क्रमांक 5063 / 07	कमलेश कुमार पटेल, शिक्षक	13.03.1986
13.	रि. या. से. क्रमांक 2359 / 07	दिनेश चंद्र पांडे, शिक्षक	03.10.1986
14.	रि. या. से. क्रमांक 2249 / 07	माया चटर्जी, शिक्षिका	30.10.1987
15.	रि. या. से. क्रमांक 2252 / 07	राम आश्रय सिंह, शिक्षक	30.10.1987
16.	रि. या. से. क्रमांक 2754 / 07	काशी नाथ यादव, शिक्षक	02.11.1987
17.	रि. या. से. क्रमांक 2301 / 07	मार्टिन खाल्को	22.07.1987

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.	रि. या. से. क्रमांक 2523 / 07	एच. एल. श्रीवास, शिक्षक	25.01.1987
19.	रि. या. से. क्रमांक 4785 / 07	श्रीमती आशा यादव, शिक्षिका	01.07.1988
20.	रि. या. से. क्रमांक 2378 / 07	चंद्रसेन चौहान, शिक्षक	18.07.1988
21.	रि. या. से. क्रमांक 2751 / 07	मनोज कुमार साहू, शिक्षक	28.07.1988
22.	रि. या. से. क्रमांक 2554 / 07	श्रीमती सीता बाई, भृत्य	01.07.1988
23.	रि. या. से. क्रमांक 4784 / 07	चंदू लाल, चौकीदार	30.08.1989
24.	रि. या. से. क्रमांक 2379 / 07	विनोद शंकर शर्मा, शिक्षक	25.07.1990
25.	रि. या. से. क्रमांक 2608 / 07	एच. के. सिंह, शिक्षक	08.10.1990
26.	रि. या. से. क्रमांक 2544 / 07	श्रीमती राजश्री पिल्लई, शिक्षिका	01.11.1993
27.	रि. या. से. क्रमांक 2545 / 07	प्रभाकर सिंह, शिक्षक	29.10.1993
28.	रि. या. से. क्रमांक	राजेंद्र कुमार वर्मा, शिक्षक	05.08.1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	2555 / 07		
29.	रि. या. से. क्रमांक 5048 / 07	जग प्रताप सिंह, शिक्षक	21.08.1996
30.	रि. या. से. क्रमांक 2376 / 07	शुभंकर मिश्रा, शिक्षक	15.07.1998
31.	रि. या. से. क्रमांक 2543 / 07	उमा कांत मिश्रा, शिक्षक	16.08.1998
32.	रि. या. से. क्रमांक 2758 / 07	श्रीमती सुनयना विश्वकर्मा, शिक्षिका	17.07.1998
33.	रि. या. से. क्रमांक 5134 / 07	भगत सिंह पटेल	19.07.1999
34.	रि. या. से. क्रमांक 2556 / 07	श्रीमती अंजना पाराशर, शिक्षिका	01.09.1999
35.	रि. या. से. क्रमांक 5037 / 07	कुशराम, शिक्षक	20.09.1999

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(* उन्हें अन्य स्कूलों से गुरुदेव स्कूल में स्थानांतरित किया गया था ।)

5. उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं में अंतर्वर्तित प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

i.) क्या एसईसीएल याचिकाकर्तागण का नियोक्ता है इस आधार पर कि स्कूलों का संचालन और प्रबंधन एसईसीएल द्वारा किया जाता है ?

ii.) क्या एसईसीएल या राज्य सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन और भत्ते देने के लिए उत्तरदायी हैं ?

iii.) क्या वे समितियाँ, जो कथित तौर पर विद्यालयों के कामकाज का संचालन और प्रबंधन कर रही हैं, याचिकाकर्तागण की नियोक्ता हैं ?

iv.) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समितियों के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है, जो स्वतंत्र विधिक निकाय हैं ?

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नायर, श्री भरत और श्री परंजपे ने निवेदन किया कि राष्ट्रीय कोयला खान मजदूरी बोर्ड अवार्ड , 1967 में निम्नलिखित अनुसार विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"समिति का मानना है कि श्रमिकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय नियोक्ताओं का दायित्व है । श्रमिक बस्तियों के पास पर्याप्त खेल के मैदानों से सुसज्जित अच्छे विद्यालय भवन भावी श्रमिकों की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ।"

उक्त सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया । इस प्रकार, यह पूरे देश में कोयला खनन उद्योग पर

बंधनकारी हो गया । तदनुसार, एसईसीएल द्वारा अपने कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय स्थापित किए गए । अतः, एसईसीएल को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने विद्यालय स्थापित नहीं किए थे, क्योंकि ये विद्यालय विधिवत पंजीकृत निजी समितियों के अंतर्गत समितियों द्वारा बनाए गए थे । एसईसीएल नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि श्रमिक बस्ती के निकट स्थित विद्यालयों के निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि एसईसीएल द्वारा आवंटित की गई थी । एसईसीएल ने प्रारंभ में प्राथमिक विद्यालय शुरू किए और बाद में उन्हें माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में उन्नत किया गया । इसके बाद, इसने प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया, जिसमें एसईसीएल के अधिकारी शामिल थे, और इस प्रकार, समिति एसईसीएल का अभिन्न अंग थी और यह एक अलग विधिक निकाय नहीं थी । शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के अनुसार उप क्षेत्र प्रबंधक / उप मुख्य खनन अभियंता की स्वीकृति से किया गया था, जो समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख थे । कार्मिक अधिकारी / श्रम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कल्याण अधिकारी भी समिति के सचिव के रूप में शामिल थे, जिन्होंने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए ।

8. विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि कोठारी आयोग ने शिक्षकों के वेतनमानों में समानता के संबंध में सिफारिश की थी, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी हों या गैर-सरकारी स्कूलों के । मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल ने मध्य शिक्षा अधिनियम, 1965 (संक्षेप में "अधिनियम, 1965") नामक एक विधि बनायी है । अधिनियम, 1965 की धारा 28 (4) के तहत सरकार को माध्यमिक शिक्षा मंडल स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, जिसे स्कूलों को मान्यता प्रदान करने और इस संबंध में नियम बनाने और अधिसूचित करने का दायित्व सौंपा गया है । माध्यमिक शिक्षा मंडल (मध्य प्रदेश) विनियम, 1965 (संक्षेप में "विनियम, 1965") तदनुसार बनाए गए । विनियम 70 से 73, जो गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं, के अनुसार यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि सरकारी अनुदान प्राप्त न करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों का वेतनमान सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के वेतनमान से कम नहीं होगा । इस प्रकार, (एसईसीएल) विनियम 73, 1965 के अनुसार याचिकाकर्तागण को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए बाध्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति प्रारंभ में पुरानी स्कूल प्रबंध समिति द्वारा की गई थी, जिसमें एसईसीएल के अधिकारी पदेन अध्यक्ष और सचिव थे । इसके बाद, समिति का गठन किया गया और याचिकाकर्तागण की सेवाएं उनकी सहमति के बिना नई समिति को अंतरित कर दी गईं, इसलिए याचिकाकर्ता एसईसीएल के कर्मचारी बने रहे, न कि समिति के कर्मचारी । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उस स्कूल के कर्मचारी हैं जिसे एसईसीएल ने क्षेत्र के शैक्षिक विकास के उद्देश्य से स्थापित किया था, इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के कर्मचारी हैं । याचिकाकर्तागण को उनकी सहमति के बिना एक सोसाइटी के अंतर्गत एक स्कूल से दूसरी सोसाइटी के अंतर्गत दूसरे स्कूल में अंतरित कर दिया गया और आवासीय आवास सीधे एसईसीएल द्वारा आवंटित किया गया । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में याचिकाकर्ता कार्यरत हैं, उनका प्रबंधन एसईसीएल द्वारा किया जाता था । विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों पर भरोसा जताया है जो दिमाकुची चाय बागान के कर्मचारी बनाम दिमाकुची चाय बागान का प्रबंधन [1958] एससीआर 1156, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाम डॉ. के.एस. जवतकर और अन्य 1989 सप्लीमेंट(1) एससीसी 679, राज सोनी बनाम वायु अधिकारी प्रभारी प्रशासन और अन्य (1990) 3 एससीसी 261, प्रदीप कुमार बिस्वास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान और अन्य (2002) 5 एससीसी 111 और मोहम्मद सलीम बनाम परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी 2004 लैब.आई.सी. 382 के मामलों में दिए गए थे ।

10. दिनांक 12.03.2012 के लिखित कथन के अनुच्छेद 9 में और दिनांक 01.11.2012 के लिखित कथन में याचिकाकर्तागण ने तर्क दिया कि वे एसईसीएल के कर्मचारी होने का दावा नहीं कर रहे हैं । उनका दावा केवल सरकारी शिक्षकों के समतुल्य वेतन और भत्तों

दावा नहीं कर रहे हैं । उनका दावा केवल सरकारी शिक्षकों के समतुल्य वेतन और भत्तों के लिए है, जिसके वे अपनी नियुक्ति की शर्तों और विनियम, 1965 के विनियम 73 के अनुसार हकदार हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्री कोशी और श्री शुक्ला के साथ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनकड़, जो एसईसीएल की ओर से अधिवक्ता थे, ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण का दावा तथ्यात्मक रूप से निराधार है, क्योंकि याचिकाकर्तागण का पूरा दावा इस आधार पर है कि इन विद्यालयों की पूर्व प्रबंध समितियों में एसईसीएल के अधिकारी थे और एसईसीएल अनुदान सह सहायता प्रदान करता रहा है । वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 पौषणीय नहीं है, क्योंकि इसे यूनियन द्वारा प्रतिनिधि के रूप में दायर

किया गया है । उक्त रिट याचिका के समर्थन में शपथ पत्र यूनियन के नेताओं द्वारा दिया गया है, जो पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं । याचिकाकर्तागण ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वे निजी समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों के कर्मचारी हैं ।

12. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि एसईसीएल का इन स्कूलों को चलाने वाली निजी संस्थाओं पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है और केवल कल्याणकारी मानदंडो के रूप में ही समय-समय पर इन स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । मात्र वित्तीय सहायता प्रदान करने से एसईसीएल सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन / वेतनमान के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हो जाता । ये स्कूल मात्र एसईसीएल द्वारा दी गई अनुदान सह सहायता से ही नहीं चलते । इन स्कूलों की छात्रों से प्राप्त शुल्क और दान से आय के अपने स्रोत हैं । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि ये स्कूल एसईसीएल द्वारा प्रदान की गई पूर्ण वित्तीय सहायता के आधार पर चल रहे हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में यह निवेदन किया कि वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान

देना न तो वैधानिक है और न ही इन विद्यालयों / समितियों को ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई बंधनकारी कार्यकारी निर्देश हैं । एसईसीएल ने पहले ही अपने अधिकारियों को प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के रूप में अपनी भूमिका समाप्त करने का निर्देश दे दिया था । राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-**V** के खंड 10.6.1 में यह प्रावधान है कि एसईसीएल इन निजी समितियों को, जो विद्यालयों का प्रबंधन कर रही हैं, केवल उनके सुचारू संचालन के लिए अनुदान देगा, न कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समान नियमित वेतनमान देने के लिए । विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.सी. चंद्र और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2007) 8 एससीसी 279, असम राज्य बनाम बराक उपत्यका डी.यू. कर्मचारी संस्था (2009) 5 एससीसी 694, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम केजीएसडी कैंटीन कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य (2006) 1 एससीसी 567, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो वर्कर्स यूनियन और अन्य (एआईआर 2009 एससी 3063) और बिन्नी लिमिटेड और अन्य बनाम सदाशिवन और अन्य (एआईआर 2005 एससी 3202) के निर्णयों पर भरोसा जताया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. श्री मुखोपाध्याय और श्री कोटेचा, जो संबंधित स्कूल प्रबंध समितियों की ओर से उपस्थित हुए, ने निवेदन किया कि केंद्रीय वेतन बोर्ड अवार्ड 1967 के

अनुसार कोयला खनन उद्योग, एसईसीएल और उसके पूर्ववर्ती निकायों का यह दायित्व था कि वे कोयला खदानों में स्कूल स्थापित करें ताकि श्रमिकों को भविष्य के कुशल श्रमिक तैयार किए जा सकें, जैसा कि याचिकाकर्तागण ने निवेदन किया है । इस प्रकार, केंद्रीय वेतन बोर्ड अवार्ड 1967 के तहत स्कूलों की स्थापना की जानी थी । स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि एसईसीएल द्वारा आवंटित की गई थी और फर्नीचर, उपकरण और फिटिंग भी शुरू में एसईसीएल द्वारा ही उपलब्ध कराए गए थे । एसईसीएल ने अपनी सभी कोयला खदानों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए । एसईसीएल के उप क्षेत्र प्रबंधक और श्रम अधिकारी / कार्मिक अधिकारी प्रबंध समिति के सदस्य थे । पंजीकरण के लिए भी, अधिकारियों ने प्रबंध समिति को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत स्कूलों को पंजीकृत कराने की सलाह दी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किए जाने के बावजूद, एसईसीएल ने भी 1996 तक विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्तों में संशोधन किया था । समितियाँ बड़ी कठिनाई से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को मौजूदा वेतन और भत्ते दे रही हैं । अतः, पाँचवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित वेतनमान का भार समितियों के कंधों पर नहीं डाला जा

सकता । समितियों की वर्तमान आय विद्यालयों के व्यय में किसी भी वृद्धि को पूरा करने की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि एसईसीएल या राज्य सरकार उक्त विद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान न करे ।

16. मैंने दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, और मैंने अभिवेदनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है ।

17. प्रश्न संख्या 1 और 2 : याचिकाकर्तागण के इस तर्क के संबंध में कि एसईसीएल राष्ट्रीय कोयला खान मजदूरी बोर्ड अवार्ड , 1967 के अनुसार स्कूलों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, केंद्रीय कोयला खनन उद्योग वेतन बोर्ड की रिपोर्ट के खंड-1, अध्याय-15, धारा 14 का खंड 2 इस प्रकार है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) वयस्क शिक्षा केंद्र और बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय: समिति का मानना है कि श्रमिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय नियोक्ताओं का दायित्व है । श्रमिक बस्तियों के पास पर्याप्त खेल के मैदान वाले अच्छे स्कूल भवन भावी श्रमिकों की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । आज के श्रमिकों को अधिक जिम्मेदार और इसलिए अधिक उत्पादक बनाने के लिए श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण पद्धति से वयस्क शिक्षा की सख्त आवश्यकता है । रहने

के लिए एक अच्छा घर और सीखने के लिए एक अच्छा स्कूल श्रमिक और उसके बच्चे को समाज के लिए कहीं अधिक उपयोगी बनाएगा । औद्योगिक श्रमिकों के लिए साक्षरता पैनल ने हाल ही में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । रिपोर्ट में कोयला उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की निरक्षरता को दूर करने के लिए कोयला खान श्रम कल्याण कोष की जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया गया है । साक्षरता अभियान में सामाजिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम, जिसमें मृत्यु दर के लिए पाठ, स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि शामिल हों, भी जोड़ा जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त अध्याय में भावी श्रमिकों की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त खेल मैदान वाले प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । इसके बाद, ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उपरोक्त अनुशंसा को कोल इंडिया लिमिटेड या एसईसीएल द्वारा स्वीकार किया गया था, जबकि एसईसीएल ने इस बात पर ज़ोरदार आपत्ति जताई है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-**V** के खंड 10.6.1 के अनुसार एसईसीएल निजी प्रबंध समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा । यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि विद्यालयों में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया गया है जो भावी श्रमिक बनने के इच्छुक हैं । किसी भी कार्यकारी निर्देश या किसी

भी वैधानिक प्रावधान या राष्ट्रीय कोयला वेतन अवार्ड के अंतर्गत यह नहीं पाया गया है कि एसईसीएल वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा अपने स्वयं के विद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए बाध्य था ।

19. बांकी सुराकच्छर स्थित शिक्षा समिति का पंजीकरण दिनांक 16.12.1975 को रजिस्ट्रार सोसायटी के पास हुआ था (रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 का अनुलग्नक पी-2) । उक्त पंजीकरण में विद्यालयों के संचालन में एसईसीएल की भूमिका के संबंध में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सोसाइटी की उपविधियों भी दाखिल कर दिए गए हैं । उक्त उपविधियों में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि एसईसीएल स्कूलों के संचालन के लिए सोसाइटी को अनुदान या वेतन का एक हिस्सा देने के लिए उत्तरदायी है । उपविधियों में यह प्रावधान है कि बांकी सुराकच्छर क्षेत्र के उप क्षेत्र प्रबंधक समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे और एसईसीएल के श्रम कल्याण अधिकारी समिति के पदेन सचिव होंगे ।

21. भोपाल के सहकारी समिति रजिस्ट्रार को दी गई जानकारी में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बांकी सुराकच्छर की शिक्षा समिति एसईसीएल के अधीन

काम कर रही थी, सिवाय इसके कि उप-क्षेत्र प्रबंधक और श्रम कल्याण अधिकारी समिति के पदेन अध्यक्ष और सचिव थे । पंजीकरण, प्रमाण पत्र या उपविधियों में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है । एसईसीएल के अधिकारियों का विद्यालय प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष / सचिव के रूप में कार्य करना यह साबित नहीं करता कि विद्यालय एसईसीएल द्वारा संचालित थे । चूंकि वित्तीय सहायता समय-समय पर प्रदान की जाती थी, इसलिए वित्तीय सहायता के बेहतर उपयोग के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण आवश्यक था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौतों (**NCWA**) के अंश की एक प्रति, कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के संबंध में, रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 के अनुलग्नक **P**-3 के रूप में प्रस्तुत की गई है । इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोयला क्षेत्रों में समिति द्वारा संचालित स्कूलों के लिए मौजूदा आवर्ती अनुदानों में वृद्धि की जाएगी ताकि स्कूल बेहतर ढंग से चल सकें, जिसमें उच्च वेतन का भुगतान भी शामिल है । इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड या एसईसीएल स्कूलों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए जिम्मेदार होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ये स्कूल मध्य प्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मंडल के समक्ष विधिवत मान्यता प्राप्त थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त रहे ।

23. दस्तावेजों की जांच से स्पष्ट है कि डीएवी कॉलेज ट्रस्ट और मैनेजमेंट सोसाइटी तथा गेवरा प्रोजेक्ट एसईसीएल के बीच दिनांक 2 जुलाई 1988 को एक समझौता हुआ था (रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 का अनुलग्नक पी-6) । उक्त समझौते में यह प्रावधान था कि एसईसीएल को छात्रों से प्राप्त शुल्क आदि या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को घटाने के बाद स्कूल चलाने में होने वाले कुल घाटे की भरपाई करनी होगी । याचिकाकर्तागण के स्कूलों के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एसईसीएल द्वारा संचालित डीएवी स्कूल समितियों / सोसाइटियों द्वारा संचालित स्कूलों के बराबर है । एसईसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अनुदान स्कूलों के कल्याणकारी उपाय के रूप में जारी किए जाते हैं । डीएवी स्कूल के साथ कोई समानता नहीं है, क्योंकि डीएवी स्कूल की स्थापना दिनांक 2 जुलाई 1988 के समझौते के तहत हुई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. दिनांक 10 / 11.02.1997 के पत्र (रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 का अनुलग्नक पी-9) से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, यानी रिट याचिका क्रमांक 2438 / 1997 में गठित संघ ने एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध

निदेशक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सोसाइटियों द्वारा संचालित स्कूलों को डीएवी स्कूल के समकक्ष मानने का अनुरोध किया गया था, जिसे, ऐसा प्रतीत होता है, स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

25. याचिकाकर्तागण ने सन-शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाँकीमोंगरा द्वारा जारी एक विज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिस पर स्कूल समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं । याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शिक्षकों और अन्य याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर इसी प्रकार के विज्ञापन जारी किए गए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे । यह भी पाया गया कि बाँकीमोंगरा उप-क्षेत्र के समूह कार्मिक अधिकारी ने एक शिक्षक को अपने सभी दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था । दिनांक 28 / 30.06.1981 के एक अन्य पत्र में उप-क्षेत्र प्रबंधक और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के कार्यालय ने

रमेश कुमार सक्सेना को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था । इसी प्रकार, याचिकाकर्तागण द्वारा कई पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें स्कूल प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत उप-क्षेत्र प्रबंधक ने साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को सूचित किया था और नियुक्ति आदेश भी स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके हस्ताक्षर से जारी किए गए थे ।

26. उपरोक्त दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट है कि उप-क्षेत्र प्रबंधक और श्रम कल्याण अधिकारी ने साक्षात्कार या नियुक्ति के लिए पत्राचार पर हस्ताक्षर एसईसीएल के अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में किए थे । इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी एसईसीएल के कर्मचारी हैं । शुरू में समितियों का गठन इस प्रकार किया गया था कि उप-क्षेत्र प्रबंधक पदेन अध्यक्ष और श्रम कल्याण अधिकारी पदेन सचिव थे । हालांकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया और अब समितियों का गठन स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसमें एसईसीएल का कोई भी अधिकारी पदेन अध्यक्ष या सचिव नहीं होता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27.उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्तागण द्वारा स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया गया है कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी एसईसीएल के कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए यह

माना जाता है कि उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी एसईसीएल के कर्मचारी नहीं हैं ।

28.सर्वोच्च न्यायालय ने एस.सी. चंद्र (पूर्वोक्त) मामले में इसी तरह की संस्था के बारे में विचार किया, जिसका संचालन बी.सी.सी.एल. द्वारा संचालित स्कूलों की प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा था और निम्नलिखित टिप्पणी की :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया । हमारे समक्ष मूल प्रश्न यह है कि क्या एचसीएल के प्रबंधन के विरुद्ध परमादेश याचिका जारी की जा सकती है । विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से संबंधित एक समान मामले में युगल पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी थी । इस मुद्दे की जांच एक समान याचिका में की गई थी और उपरोक्त मामले में, इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया था कि क्या विद्यालय का प्रबंधन एचसीएल की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है या नहीं । मामले पर विस्तार से विचार

करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए पाया कि विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का एचसीएल के साथ स्वामी-सेवक का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विद्यालय का प्रबंधन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता था, हालांकि निगम द्वारा उदार वित्तीय अनुदान दिया जा रहा था । इससे एचसीएल के प्रबंधन और स्कूल के प्रबंधन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था । हालांकि विभिन्न संचार माध्यमों से यह आभास कराने का प्रयास किया गया कि स्कूल एचसीएल द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में एचसीएल केवल स्कूल को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जबकि स्कूल का प्रबंधन एचसीएल के प्रबंधन से पूरी तरह अलग था । वित्तीय सहायता देने का यह अर्थ नहीं है कि स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारी एचसीएल के कर्मचारी बन गए हैं । इसलिए, हमारा मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया यह मत सही प्रतीत होता है कि एचसीएल के प्रबंधन और स्कूल के प्रबंधन के बीच कोई संबंध नहीं था, हालांकि एचसीएल के अधिकांश कर्मचारी स्कूल की प्रबंध समिति में थे । लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि स्कूल की स्थापना एचसीएल द्वारा की गई थी । एचसीएल के कर्मचारियों के

बच्चे इस स्कूल द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित हो रहे थे । इसलिए, एचसीएल का प्रबंधन वित्तीय सहायता दे रहा था, लेकिन इससे यह निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं निकाला जा सकता कि स्कूल एचसीएल के प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा था । इसलिए, इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है ।"

29. ये विद्यालय किसी पुरस्कार, कार्यकारी निर्देश या विधि के प्रावधानों के तहत स्थापित नहीं किए गए थे । अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि एसईसीएल समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने और कुछ समय के लिए समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सचिव के रूप में कार्य करने के आधार पर पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है । पदेन अध्यक्ष और सचिव के रूप में शक्ति का प्रयोग करते समय, उप-क्षेत्र प्रबंधक और श्रम कल्याण अधिकारी एसईसीएल के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, जिसके लिए वे एसईसीएल में पद धारण कर रहे थे । एसईसीएल के प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन समिति को समय-समय पर दी गई वित्तीय सहायता के आधार पर विद्यालय प्रबंधन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है । अतः, यह माना जाता है कि एसईसीएल और विद्यालयों / सोसायटियों की प्रबंधन समिति द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. इन परिस्थितियों में, न तो एसईसीएल को और न ही राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे समिति के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते का भुगतान करें । (देखें: इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 408 (अनुच्छेद 37 और 38)) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एसईसीएल स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी पुरस्कार के तहत अपेक्षित उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । इसके लिए याचिकाकर्तागण को विधि के प्रावधानों के तहत, यदि आवश्यक हो, तो अन्य मंचों का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी गई है । वेतनमान प्रदान करना एक कार्यकारी कार्य है जो कई कारकों पर निर्भर करता है और इसलिए न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ।

31. पदेन सदस्य अन्य सदस्यों की तरह ही होते हैं । उन्हें कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन उन पर समिति या बोर्ड के दायित्व नहीं होते ।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवां संस्करण) में 'पदेन' शब्द की परिभाषा इस प्रकार है :-

"……लेकिन पदेन सदस्य मतदान करने वाला सदस्य होता है, जब तक कि लागू शासी दस्तावेज में अन्यथा प्रावधान न हो ।

'अक्सर बोर्डों में पदेन सदस्य शामिल होते हैं - अर्थात, ऐसे व्यक्ति जो सोसायटी, या मूल राज्य या राष्ट्रीय सोसायटी या संघ या किसी संबद्ध समूह में धारित किसी पद या समिति की अध्यक्षता के कारण बोर्ड के सदस्य होते हैं; या - कभी-कभी संगठित समितियों के बाहर के बोर्डों में - सार्वजनिक पद के कारण । किसी सोसायटी के कार्यकारी बोर्ड में, यदि बोर्ड का पदेन सदस्य सोसायटी के अधिकार के अधीन है (अर्थात, यदि वह सोसायटी का सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी है), तो उसके और अन्य बोर्ड सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं होता है । यदि पदेन सदस्य सोसायटी के अधिकार के अधीन नहीं है, तो उसे बोर्ड की सदस्यता के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रस्ताव रखने और मतदान करने का अधिकार शामिल है, लेकिन कोई दायित्व नहीं होता है - ठीक वैसे ही जैसे, उदाहरण के लिए, किसी राज्य का राज्यपाल किसी निजी अकादमी का पदेन न्यासी होता है ।' हेनरी एम. रॉबर्ट, रॉबर्ट्स रूल्स ऑफ ऑर्डर न्यूली रिवाइज्ड §49, पृष्ठ 466 (10वां संस्करण 2000)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. प्रश्न संख्या 3 और 4 : उपरोक्त के आलोक में, यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति संबंधित विद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा की गई थी । अतः, उनके मामलों पर विचार करना और आवश्यकतानुसार वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान करना विद्यालय की प्रबंध समिति का दायित्व है ।

33. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4942 / 2008 में याचिकाकर्ता ने लेखापरीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं । एसईसीएल द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता का विवरण निम्नलिखित है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि	अनुदान सहायता	एसईसीएल से प्राप्त दान छात्रों के कर्मचारी अभिभावक की ओर से
01-04-1998 से 31-03-1999 तक	2,60,618=00	-
01-04-1999 से 31-03-2000 तक	-	51,637=50
01-04-2000 से 31-03-2001 तक	3,80,000=00	53,048=50

01-04-2001 से 31-03-2002 तक	3,45,000=00	49,462=00
01-04-2002 से 31-03-2003 तक	3,33,000=00	47,418=50
01-04-2003 से 31-03-2004 तक	-	44,534=00
01-04-2004 से 31-03-2005 तक	2,66,023=00	41,646=00
01-04-2005 से 31-03-2006 तक	-	40,203=00
01-04-2006 से 31-03-2007 तक	3,70,000=00	37,904=00
01-04-2007 से 31-03-2008 तक	3,70,000=00	36,373=00
01-04-2008 से 31-03-2009 तक	4,10,000=00	32,472=00
01-04-2009 से 31-03-2010 तक	3,75,000=00	39,286=00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि संस्थान छात्रों को शिक्षा प्रदान करके सार्वजनिक कार्य करते हैं और वे संबद्ध बोर्ड के नियमों और विनियमों के

अधीन हैं तथा उनकी गतिविधियों की बोर्ड अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है, तो ऐसे संस्थानों में रोजगार किसी भी सार्वजनिक चरित्र से रहित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करता है और इस प्रकार, विद्यालय प्रबंधन समिति / समिति को

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के तहत 'राज्य' माना जा सकता है । (देखें: आंडी मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवमा जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट और अन्य बनाम वी.आर. रुदानी और अन्य, (1989) 2 एससीसी 691) । इस प्रकार, इसमें कोई विवाद नहीं है कि विद्यालय प्रबंध समितियों / निजी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. याचिकाकर्तागण द्वारा राज सोनी (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त निर्णय में यह प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिया गया था कि क्या विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक प्राधिकरण है । जवाहरलाल नेहरू

(पूर्वोक्त) का निर्णय भी लागू नहीं होता है; क्योंकि उसमें प्रश्न यह था कि क्या केंद्र के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्रतिवादी की सेवा मणिपुर विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुई थी । याचिकाकर्तागण द्वारा प्रदीप कुमार बिस्वास (पूर्वोक्त) मामले में उद्धृत निर्णय भी सहायक नहीं है ।

36. कुलेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम महाप्रबंधक, एसईसीएल और अन्य (एम.पी. क्रमांक 567 / 1991) के मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता एसईसीएल के कर्मचारी थे। तदनुसार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता उस वेतनमान के हकदार होंगे, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों पर लागू होता है । इसके विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14.07.2006 को खारिज कर दिया । वर्तमान मामले के तथ्य भिन्न हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे एसईसीएल के कर्मचारी हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. विनियम, 1965 का विनियम 73 यह प्रावधान करता है कि कर्मचारियों का वेतनमान सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं होगा ।

38.उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

i.) याचिकाकर्ता एसईसीएल के कर्मचारी नहीं हैं । हालांकि, एसईसीएल उपर्युक्त विद्यालयों को उदार वित्तीय सहायता देना जारी रखेगा ।

ii.) याचिकाकर्तागण की नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समितियों / सोसायटियों द्वारा की गई थी, और अतः यदि याचिकाकर्तागण को अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि का कोई दावा है, तो उस पर विचार केवल विद्यालय प्रबंधन समितियों / सोसायटियों द्वारा ही किया जा सकता है । न्यायालय विद्यालय प्रबंधन समितियों / सोसायटियों को अपने कर्मचारियों को कोई विशेष वेतनमान देने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि यह विद्यालय प्रबंधन समितियों / सोसायटियों का कार्यकारी कार्य है ।

iii.) माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसने विद्यालयों को मान्यता दी है, यह सुनिश्चित करेगा कि वेतनमान, जिसका न्यूनतम वेतनमान, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में वेतनमान से कम न हो, जैसा कि विनियम, 1965 के विनियम 73 के दूसरे भाग के तहत निर्धारित किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39.फलस्वरूप, उपर्युक्त निर्देशों के साथ सभी रिट याचिकाओं का निराकरण किया जाता है । वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.